

राजस्थान सरकार

प्रपत्र-8

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कनवास

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कनवास

मिसल नं० 264/14

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवर्त श्री फावली का अचलोकन किरा

व भूअनि गण/विशेष पत्रिका 168 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार एच

/नायब तहसीलदार कनवास मेरोकार सरकार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

R.A.S. Tenancy Act की धारा 88 के अंतर्गत

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कनवास, सीमलिया तहसील कनवास व

जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् कनवास 2069-72 में खाता संख्या 387

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कनवास	387	मुकेश सुरेश फुल पन्ना- लाल हि०/२ शेष खाता बंदस्तूर	मुकेश कुमार सुरेन्द्र कुमार फुल पन्नालाल हि०/२ हि०/२ शेष खाता बंदस्तूर
2	सीमलिया	79	मुकेश सुरेश फुल पन्ना हि०/३ हि०/३ शेष खाता बंदस्तूर	मुकेश कुमार सुरेन्द्र कुमार फुल पन्नालाल हि०/३ हि०/३ शेष खाता बंदस्तूर



M. G.
13/6/16

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :- 13.6.16

क्रमांक :- 608-609

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार फुल पन्नालाल जारि कुमावत शी कनवास को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

Sd/-
पीठासीन अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर

सुरेन्द्र कुमावत